२५/७/१७	अभिलेख उप.
२७/७/१७	अभिलेख उप.

पक्षकार अनु.

पक्षकारों के वादे में रुचि नहीं है। थाना द्वारा प्रतिवेदित है कि ५/५ मिलन ठाकुर, अपने नाना के सम्पत्ति पर दावा कर रहे हैं, जिन्हें विपक्षीगण अपना कब्जा में रखे हैं। मामला भूमि का स्वामित्व का है, जिसका समाधान के लिये उभय पक्ष सिविल न्यायालय के शरण में जायें। इस अभिलेख की कार्यवाही बिना किसी पक्ष के गुण-दोष के, समाप्त किया जाता है।

टंकित करें

(हस्ताक्षर)

२७/७/१७